<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
जयसिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, चिडावा
245/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00368)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>25.02.20</td><td>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे ज़ाहिर होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त जयपुर</td><td></td></tr>
</table>